V.C. / [illegible]

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 1.6.92 की कार्यवृत्त हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

[illegible]
23.6.92

[illegible]
24.6.92

सचिव
[illegible]
23.6.92

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 01.06.92 में उपस्थिति :-

---

1- श्री एस0एस0 पाँगती, आयुक्त, अध्यक्ष/आयुक्त [signature]

2- श्री शिशिर प्रियदर्शी, जिलाधिकारी, सदस्य

3- श्री संजीव सरन, उपाध्यक्ष, सदस्य [signature]

4. [illegible] निदेशक आवास [signature]

5 जीतसिंह [illegible] [illegible] [signature]

6 [illegible] [signature]

7. आशुतोष त्रिपाठी मुख्य अभियन्ता सहायक जलनिगम देहरादून [signature]

8. [illegible] सह मुख्य नियोजक प्रतिनिधि नगर एवं ग्राम नियोजक [illegible] [signature] 1/6/92
नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश

9 B.K. Banerjee E.E. P.D. P.W.D Dehradun [signature] 1/6

10. ए.के. द्विवेदी सहायक निदेशक पर्यटन आयुक्त एवं पर्यटन महानिदेशालय देहरादून [signature] 1/6/92

11 [illegible] [illegible] [signature]

12. एस. एन. [illegible] संयुक्त [illegible] [signature]

13 सुमित्रा सिंह [illegible]

14 राजेन्द्र सिंह [illegible] [illegible] -

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 1.6.1992 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति :-

1- श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ------ अध्यक्ष

2-श्री संजीव सरन, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ------- उपाध्यक्ष

3-श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0 ---- सदस्य

4-श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून ----- सदस्य

5-श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ----- सदस्य

6-श्री आशुतोष त्रिपाठी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम --- सदस्य

7-श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 गढ़वाल सम्भाग, देहरादून ----- प्रतिनिधि सदस्य

8-श्री ए0के0द्विवेदी, सहायक निदेशक, पर्यटन ------ प्रतिनिधि सदस्य

9-श्री बी0के0बनर्जी, अधिशासी अभियंता, पी0डब्ल्यू.डी0----- प्रतिनिधि सदस्य

विशेष आमंत्री:-

1- श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक, मसूरी क्षेत्र ।

अन्य उपस्थित अधिकारीगण :-

1- श्रीमती सुनिष्ठा सिंह, सचिव, म0दे0वि0प्रा0

2- श्री एस0एन0श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0

3- श्री रामपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0

4- श्री मुकुल हटवाल, सहायक नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0

===

क्रमशः --------2,

b

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व इस बैठक के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 29.5.92 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने अपनी ओर से बैठक में भाग लेने हेतु श्री बृज बी0रतन सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून को अधिकृत करते हुए एजेण्डा नोट के विषय क्रमांक-3, 4, 12, 13, 14 एवं 15 तथा अतिरिक्त विषय संख्या-2, 4, 6 एवं 8 पर विचार स्थगित रखे जाने की बात लिखी थी।

आयोजित बैठक में कोरम पूर्ण होने एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित होने की दशा में आम मत यह था कि वर्णित एजेण्डा विषय क्रमांकों को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

(क) <u>गत बैठक की कार्यवाही</u>:-

गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी तथा सर्व-सम्मति से अनुमोदित की गयी। अनुमोदन स्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किए गए।

(ख) <u>गत बैठक की अनुपालन आख्या</u>:-

अवलोकनोपरान्त गत बैठक की अनुपालन आख्या यथाप्रस्तावित अनुमोदित की गयी।

विषय क्रमांक :- 1 <u>प्रस्तावित पैवेलियन बाजार व्यावसायिक काम्पलैक्स योजना के सम्बन्ध में</u>।

प्रस्तावित पैवेलियन बाजार व्यावसायिक काम्पलैक्स योजना के मानचित्र एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून द्वारा बैठक को अवगत् कराया गया कि यहां पर काफी समय पूर्व से लोग

अस्थायी दूकानों में अपना-अपना व्यवसाय चला रहे हैं तथा भूमि पर काबिज है। ऐसे कुछ दूकानदारों के पास स्टे-आर्डर भी है। उन्होंने योजना कार्यान्वयन में पूर्व से व्यवसाय चला रहे दूकानदारों को समायोजित करने का सुझाव दिया।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1-ऐसे दूकानदारों की सूची तैयार की जाए जो वर्तमान समय में प्रश्नगत बाजार में अपना व्यवसाय चला रहे हैं तथा इसमें से कितने दूकानदारों के पास स्टे-आर्डर हैं।

2-इन दूकानदारों को योजना की जानकारी देते हुए दूकानों का अनुमानित मूल्य भी बता दिया जाए तथा इस आशय से उनकी सहमति भी ली जाए कि क्या वे इस कीमत पर दूकान लेने के इच्छुक हैं।

उपरोक्त सूचना के साथ प्राधिकरण उपविधियों के अनुसार एफ0ए0आर0पार्किंग स्पेस की व्यवस्था एवम् समस्त योजना की वित्तीय एवं व्यवहारिकता देखते हुए भूमि के निर्विवाद स्वामित्व का परीक्षण करने के पश्चात् विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

{कार्यवाही स0न0नि0}

विषय क्रमांक:- 2 <u>तहसील परिसर पर स्थित डिस्ट्रिक सेण्टर योजना के संबंध में।</u>

बैठक में जिलाधिकारी देहरादून उपस्थित नहीं हो पाए। इस प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की उपस्थिति में विचार किया जानाउचित समझा गया। निर्देश दिए गए कि इस प्रकरण को पुन: आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक :- 3 <u>डिस्पेन्सरी रोड़ शापिंग काम्पलैक्स के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषय क्रमांक-2 में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

क्रमश: --------4,

de

विषय क्रमांक:- 4 सहस्त्रधारा मार्ग पर आवासीय तथा अन्य योजनाओं तथा विकास कार्य के सम्बन्ध में।

भूमि का स्वरूप वर्तमान में बंजर होने की स्थिति में सर्व-प्रथम पानी की व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया। इस सम्बन्ध में बैठक को अवगत कराया गया कि पानी की उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम, देहरादून को पहले ही लिखा जा चुका है तथा इस हेतु डिमांड के अनुसार उन्हें रू0 एक लाख भी दिए जा चुके हैं। अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह बताया गया कि प्रश्नगत स्थल का सर्वेक्षण कार्य उनके विभाग द्वारा किया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित कर दिए जाने की आशा व्यक्त की गयी।

अत: निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 जल निगम से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष महोदय की सहमति से अग्रिम कार्यवाही की जाए। "आवासीय" क्षेत्र को अधिग्रहित किए जाने के लिए सिद्धान्त: सहमति प्रदान की गयी तथा पानी की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु जल निगम को दी गयी धनराशि रू0 एक लाख तथा भविष्य में इस मद में आवश्यकतानुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही अधि0अभि0/संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक:-5 प्राधिकरण के कार्यों में दिनोदिन हो रही वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 21.11.85 में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में वृद्धि किए जाने के संशोधित प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी:-

1-एजेण्डा नोट के पृष्ठ संख्या-25 पर बिन्दु संख्या-6 कार्यालय हेतु उपकरण, मशीनरी, साज-सज्जा आदि क्रय करने के अधिकार में वृद्धि के प्रस्ताव को यथा प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में मितव्यता सम्बन्धी शासनादेशों का ध्यान भी रखा जाए।

क्रमश--------5,

2-एजेण्ड़ा नोट के पृष्ठ संख्या-26 पर बिन्दु संख्या-11 चोरी, धोखाधड़ी लापरवाही या अन्य कारणों से प्राधिकरण को क्षति की धनराशि को माफ करने के अधिकार में बृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए यथावत् रखे जाने के निर्देशि दिए गए।

3-सत्कार व्यय में बृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि धनराशि की सीमा 5,000/- से बढ़ाकर रू0 10,000/- कर दी जाए परन्तु स्वीकृत करने का अधिकार केवल उपाध्यक्ष को होगा।

4-एजेण्ड़ा नोट के पृष्ठ संख्या-27 पर बिन्दु संख्या-15 अस्थायी तथा स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के बृद्धि प्रस्ताव पर यथा प्रस्तावित स्वीकृत प्रदान की गयी।

5-(ए) एजेण्ड़ा नोट के पृष्ठ संख्या-27 पर बिन्दु संख्या-18 एक विकास परियोजना की धनराशि में से अन्य विकास परियोजनाओं पर व्यय करने के उपाध्यक्ष के अधिकार में बृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर पूर्ण यथा-स्थिति रखे जाने के निर्देश दिए गए।

5-(बी) एजेण्ड़ा नोट के पृष्ठ संख्या-27 एवं 28 पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित वित्तीय अधिकारों के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि जब किसी भी विकास परियोजना को प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति दी जाए तो उसका क्रियान्वयन करने सम्बन्धी सभी अधिकार यथा बजट प्राविधानों के अधीन निर्माण तथा विकास परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त परियोजना के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार तथा स्वीकृत विकास परियोजना में स्वीकृत निविदा के अनुसार परियोजना के कार्यों पर ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्व समानुपातिक भुगतान तथा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार और ठेकेदार के अनुबन्ध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति के पश्चात् हस्ताक्षर करने के अधिकार उपाध्यक्ष को प्रदत्त किए जाते हैं।

6-पृष्ठ संख्या-28 पर बिन्दु संख्या-5 विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित सामग्री क्रय करने हेतु अधिशासी अभियंता एवं सचिव के अधिकारों

क्रमशः---6,

में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

अतः पूर्व बैठक में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया। शेष अधिकार यथावत् रहेंगे।

{कार्यवाही स0ले0अ0/सचिव}

विषय क्रमांकः- 6 <u>वरिष्ठ तकनीकी/तकनीकी सुपरवाईजरों के वेतन की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।</u>

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। श्री एस0सी0बहुखण्डी, संयुक्त सचिव आवास, उ0प्र0 शासन द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि एजेण्डा नोट में मा0 उच्च न्यायालय के जिस आदेश का हवाला दिया गया है, वह मात्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर ही लागू होता है। निर्णय लिया गया कि इस मामले में विधिक राय प्राप्त करते हुए प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाए।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

विषय क्रमांकः- 7 <u>प्राधिकरण कार्यालय में सुरक्षा गार्ड/गनमैन के पदों के सृजन का प्रस्ताव तथा गनमैन को गन एलाउन्स दिए जाने के सम्बन्ध में।</u>

निर्देश दिए गए कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाए। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

विषय क्रमांकः- 8 <u>मसूरी शिविर कार्यालय के लिए पद सृजन के सम्बन्ध में।</u>

निर्देश दिए गए कि पदों के सृजन का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाते हुए शासन को भेज दिया जाए। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाए।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

क्रमशः------7,

विषय क्रमांक:-9 फील्ड स्टाफ के लिए वाहन भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

पैट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि एवं अन्य प्राधिकरणों में दिए जाने वाले भत्ते को दृष्टिगत रखते हुए वाहन भत्ता रू0-100/- के स्थान पर रू0-200/- किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि ऐसे कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिए जाने से पूर्व उनके पास निजी वाहन होने के तथ्य की पुष्टि कर ली जाए।

{कार्यवाही अधि0अभि0/सचिव}

विषय क्रमांक:- 10 प्राधिकरण कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बैठक में सृजित पदों पर शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में तदर्थ रूप से नियुक्ति करने के संबंध में।

शासन से पदों की स्वीकृति की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्तियां नहीं किए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुपालन की सुनिश्चिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। निर्देश दिए गए कि शासन को शीघ्र पदों की स्वीकृति के बारे में पुनः अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया जाए।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

विषय क्रमांक:- 11 मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का बजट प्रस्ताव।

बैठक को अवगत् कराया गया कि प्राधिकरण के वर्ष 91-92 का पुनरीक्षित एवं 92-93 के प्रस्तावित बजट पर परिचालन के माध्यम से पहले ही अनुमोदन लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बजट की प्रतियां प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध हो गयी है।

{कार्यवाही स0ले0अ0 / का0अ0}

क्रमश--------8,

विषय क्रमांकः- 12 मसूरी महायोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस प्रस्ताव को मसूरी महायोजना के क्रियान्वयन से न जोड़ा जाए चूँकि मसूरी की महायोजना अभी ड्राफ्ट स्टेज पर चल रही है।

जनहित में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि मसूरी में पानी की व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनाने की कार्यवाही की जाए परन्तु ऐसे स्थलों पर योजना कार्यान्वित किए जाने से पूर्व यह देख लिया जाए कि उनके विषय में मसूरी महायोजना के परिपेक्ष्य में किसी आपत्ति/सुझाव पर विचार तो नहीं किया जाना है।

{कार्यवाही स0न0नि0/सचिव}

विषय क्रमांकः- 13 अनधिकृत कालोनियों/प्लौटिंग तथा विपरीत भूउपयोग के अन्तर्गत मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। ~~निर्णय लिया गया कि~~ जहां कालोनाईजर भूमि का सब-डिवीजन करके भूखण्ड जनता को बेचकर भूमिगत हो गए हैं तथा अब उन्हें ढूढ़ पाना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में भूउपयोग "आवासीय" होने की दशा में प्रोडाटा बेसिस पर विकास शुल्क लेते हुए मानचित्र स्वीकृत करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

जिलाधिकारी देहरादून तथा नगर विधायक की अनुपस्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में बन्दोबस्ती आवादी के 100 मीटर परिधि के अन्दर भवन मानचित्रों की स्वीकृति पर विचार आगामी बैठक तक स्थगित किया गया।

विषय क्रमांकः- 14 ग्राम देहराखास, जिला देहरादून में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विद्याविहार कालोनी के तलपट मानचित्र के संबंध में।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण सुस्पष्ट करते हुए भूउपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित विसंगति समिति की रिपोर्ट शासन को पुनः भेज दी जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि शासन से भूउपयोग

परिवर्तन होने की प्रत्याशा में भवन मानचित्र स्वीकृत न किए जायें।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांक:- 15 मैं बल्लापुर इण्डस्ट्रीज द्वारा गुनियाल गांव में प्रस्तावित (हैल्थ फार्म) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

मैं बल्लापुर इण्डस्ट्रीज द्वारा गुनियाल गांव जिला देहरादून में हैल्थ फार्म" बनाने की योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में मसूरी क्षेत्र के विधायक जी से यह अपेक्षा की गयी कि कृपया वे ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित इस प्रकार के हैल्थ फार्म की आवश्यकता/उपयोगिता एवं व्यवहारिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अपने मत से अगली बैठक में अवगत करायें।

प्रस्ताव अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही का0अ0/स0न0नि0)

विषय क्रमांक:- 16 वेलहम गर्ल्स हाईस्कूल देहरादून के ग्राम नकरौन्दा स्थित भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

वेलहम गर्ल्स हाईस्कूल के ग्राम नकरौन्दा में लगभग 23 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित भवन मानचित्र के बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ। आम सदस्यों की यह राय थी कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्रीनबेल्ट एरिये में इस प्रकार के स्कूल निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे अन्य पब्लिक स्कूल बनाने हेतु मानचित्र प्रस्तुत हो सकते है जिससे ग्रामीण इलाके में ग्रीन बैल्ट एरिया धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा जो ग्रामीण हित में उचित नहीं होगा।

अत: सर्व-सम्मति से स्कूल निर्माण के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांक:- 17 श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में ग्राम सेवलांकला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

क्रमश----10,

विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांक:- 18 <u>श्री प्रेम कश्यप द्वारा ग्राम बगराल गांव जिला देहरादून में प्रस्तावित इण्टर नेशनल, चिल्ड्रेन एकाडमी के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में</u>।

यह प्रकरण भी पूर्व निर्णीत विषय क्रमांक-16 की प्रकृति के अनुरूप है अतः तद्नुसार इस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांक:- 19 <u>वास्तुविद सलाहाकार नियुक्त करने के सम्बन्ध में</u>।

वास्तुविद सलाहकार नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न वास्तुविदों के पैनल को अनुमोदित किया गया। इस संबंध में अन्य औपचारिकताओं के बारे में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांक:- 20 <u>प्राधिकरण द्वारा कम्पलीशन सर्टीफिकेट लागू करने के संबंध में</u>।

इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना समाचार पत्रों में निकालने सम्बन्धी प्रारूप को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक:- 21 <u>57/19 राजपुर रोड देहरादून पर शिवा पैलेस (व्यवसायिक दूकानों) के निर्माण मानचित्र के संबंध में</u>।

प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया।

(कार्यवाही का0अ0/स0न0नि0)

क्रमशः-------11,

विषय क्रमांक:- 22 यमुनावैली इंजीनियर्स-को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लि0 के कालिन्दी इन्कलेव के तलपट मानचित्र के संबंध में।

चूँकि भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव पूर्व में ही काफी विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है अतः इस पर पुर्न विचार उचित नहीं समझा गया। पूर्व अस्वीकृति निर्णय यथावत् समझा जाए।

{कार्यवाही स0न0नि0}

विषय क्रमांक:- 23 ग्राम धरमपुर डांडा स्थित खसरा नम्बर-561 से 592 तक के भूउपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रकरण भी उक्त निर्णीत विषय क्रमांक-22 की प्रकृति के अनुरूप है। पूर्व निरस्तीकरण निर्णय यथावत् समझा जाए।

{कार्यवाही स0न0नि0}

अतिरिक्त एजेण्डा के विषय क्रमांक

विषय क्रमांक:- 1 दूनघाटी सहकारी कर्मचारी आवास समिति लि0 दे0दून के तलपट मानचित्र के संबंध में।

इस विषय को अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

{कार्यवाही स0न0नि0}

विषय क्रमांक:- 2 महायोजना की विसंगति के सम्बन्ध में।

इस विषय को विचार हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

{कार्यवाही का0अ0/स0न0नि0}

विषय क्रमांक:-3 विजय लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज के तलपट मानचित्र के संबंध में।

इस विषय को विचार हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

{कार्यवाही का0अ0/स0न0नि0}

----12--

विषय क्रमांक:- 4 <u>मसूरी महायोजना के सम्बन्ध में</u>।

समयाभाव के कारण इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श नहीं हो पाया। निर्देश दिए गए कि इस प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही का0अ0/स0न0नि0)

विषय क्रमांक:- 5 <u>गांधी पार्क नज़ूल सम्पत्ति के सौन्दर्यीकरण के संबंध</u> में।

इस विषय पर अध्यक्ष, नगरपालिका देहरादून के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गांधी पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्राधिकरण द्वारा अपने खर्चे पर सम्पन्न करा दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि सौन्दर्यीकरण के उपरान्त प्रवेश शुल्क/अन्य शुल्क लगाने से जो आय होगी उसमें से रखरखाव का व्यय घटाते हुए जो शुद्ध आय बचेगी उसका 50% भाग नगरपालिका को दे दिया जायेगा तथा 50% प्राधिकरण रखेगा।

गांधी पार्क के प्रबन्ध एवं रखरखाव हेतु निम्नवत् एक समिति भी गठित की गयी:-

1-जिलाधिकारी, देहरादून।
2-उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
3-अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून।

(कार्यवाही अधि0अभि0/स0न0नि0)

विषय क्रमांक:- 6 <u>राजपुर रोड आवासीय योजना के संबंध में</u>।

सिद्धान्तः लगभग 6 करोड़ रू0 लागत की इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा ले-आउट का अनुमोदन किया गया। भूमि के स्वामित्व के बारे में यदि मा0 न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त होता है तो तद्नुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। लगभग 6 करोड रुपए की इस योजना के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से अनुबन्ध/पावर आफ एटॉर्नी/अन्य अभिलेखों को निष्पादित करने हेतु तथा योजना के नियोजन करने, योजना हेतु वित्तीय संस्थाओं से धन की व्यवस्था करने, अनुबन्धों को निष्पादित करने तथा निर्माण कार्य कराने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही स0न0नि0/अधि0अभि0

विषय क्रमांक:- 7 <u>वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक दरों में बृद्धि का प्रस्ताव</u>।

प्रस्ताव पर विचार अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया।

(कार्यवाही का०अ०/सचिव)

विषय क्रमांक:- 8 <u>ग्राम माजरा/फुलसनी/नथुवावाला के भूउपयोग परिवर्तन संबंधी</u>।

प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया।

(कार्यवाही का०अ०/स०न०नि०)

विषय क्रमांक:- 9 <u>आवासीय योजना इन्दिरापुरम फेज-3 की योजना का अनुमोदन</u>

चूँकि यह योजना पूर्व निर्मित योजनाओं के विस्तार की योजना है तथा पूर्व योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, अत: इसके विस्तार में सुख-सुविधाओं को उपलब्ध कराने में बहुत कम व्यय आयेगा। इस दृष्टि से योजना हेतु आपसी वार्ता से भूमि क्रय कर लगभग 10 करोड़ रुपए लागत की इस योजना को कार्यान्वित किए जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। फेज-3 के लिए बनाए गए ले-आऊट का अनुमोदन किया गया तथा योजना हेतु आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध करने तथा वित्तीय संस्थान के साथ अनुबन्ध पत्रों/पावर आफ एटार्नी आदि पर हस्ताक्षर करने और नियमानुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय क्रमांक:- 01 <u>मसूरी में माल रोड़ के सौन्दर्यीकरण के संबंध में</u>।

मसूरी में माल रोड़ के सौन्दर्यीकरण के बारे में यथा प्रस्तावित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी के अनुरोध पर सौन्दर्यीकरण कार्य शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही अभि०अभियंता)

अनुपूरक विषय क्रमांक:- 02 <u>होटल एवरग्रीन के स्वामी जय प्रकाश के प्रार्थना पत्र एवं वाद संख्या-83/सी/एम/90 पर विचार</u>।

यह प्रसंग अनधिकृत निर्माण कर लेने के फलस्वरूप शमन शुल्क की धनराशि कम किए जाने के बारे में है जिसे विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।

k

अनुपुरक विषय क्रमांकः- 3 मसूरी क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में।

मसूरी के भवन मानचित्रों की स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में शासन द्वारा सम्पूर्ण एस्टेट के क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लिए जाने अथवा भू-विन्यास स्वीकृत कराए बगैर विकास कार्य नहीं किए जाने के निर्देश हुए है, उन मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रत्येक मानचित्र का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही स०न०नि०/सचिव)

अनुपुरक विषय, क्रमांकः- 4 राजपुर रोड़ से सरकिट हाउस को जाने वाली न्यू कैंट रोड़ पर सड़क के दाई ओर शापिंग कौम्पलैक्स के मानचित्र संख्या-1576/86 के संबंध में।

चूँकि सहयुक्त नियोजक, नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० देहरादून की आपत्ति पर यह मानचित्र वर्ष 1987 में अस्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान में भी स्थिति पूर्ववत बनी हुई है अतः इस पर पुर्न-विचार उचित न समझते हुए प्रकरण को अस्वीकृत किया गया।

(स०न०नि०/सचिव)

अनुपुरक विषय क्रमांकः- 5 गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प प्रभावित व्यक्तियों एवम् कश्मीर से विस्थापित शरणार्थियों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भवन आवंटन के संबंध में।

इस प्रस्ताव में स्पष्ट एवम् विस्तृत विवरण का उल्लेख न होने के कारण निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो पाया। निर्देश दिए गए कि अगली बैठक में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या एवम् निवेदित भवन को श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(कार्यवाही स०सचिव)

अनुपुरक विषय क्रमांकः-6 टिहरी जल निगम लि० को अजबपुरकलां आवासीय योजना में आवटन किए गए भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति के समय विकास शुल्क लिए जाने के संबंध में।

टिहरी हाईडो डेवलपमैण्ट कारपोरेशन लि० ने विकास शुल्क न लिए जाने अथवा कम किए जाने के आग्रह का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया है। निर्णय लिया गया कि टी०एच०डी०सी०प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटियों से वसूली जाने वाली विकास शुल्क की धनराशि को स्वयं वहन कर लें अन्यथा

भूखण्ड आवंटियों से नियमानुसार विकास शुल्क तो लिया ही जायेगा।

{कार्यवाही सचिव}

अनुपुरक विषय क्रमांक:- 7 मैं0 जे0जे0सर्विस स्टेशन द्वारा ख0नं0-67/1 जाखन देहरादून पर प्रस्तावित सर्विस स्टेशन के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवासीय क्षेत्र में इस प्रकार के सर्विस स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता को उचित न समझते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

{कार्यवाही स0न0नि0/सचिव}

अनुपुरक विषय क्रमांक:- 8 परियोजना कार्यों के लिए सुपरवाईजरों/मेटों के पदों के सृजन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया।

{कार्यवाही का0अ0/सचिव}

शेष अनुपुरक विषय क्रमांक-9, 10, व 11 पर समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका। निर्देश दिए गए कि इन्हें विचार हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

बैठक समाप्ति से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन/विकास सौन्दर्यीकरण योजनाओं आदि के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु एक टैक्टर ट्राली एवम् एक वाटर टैंक क्रय किए जाने की आवश्यकता प्रकट की गयी। इस पर विचारोपरान्त कार्य हित में एक टैक्टर ट्राली एवं एक वाटर टैंक क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवम् सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

{सुनिष्ठा सिंह} सचिव, म0दे0वि0प्रा0	{संजीव सरन} उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0,	{एस0एस0पांगती} आयुक्त/अध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0,

पुष्टि की गई।

4/9/92